न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल।

SC/ST- 92/2023
Pipra P.S. Case No. 353/2023

01/05/24

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक पंकज कुमार पासवान के आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. जगरनाथ मेहता, 2. शंकर मेहता, 3. विशेश्वर मेहता, 4. बैधनाथ मेहता, 5. विनोद मेहता, 6. रतन यादव, 7. रूपेश यादव, 8. जिरबंधु यादव एवं 10 अज्ञात के विरूद्ध धारा 341, 342, 323, 354बी, 307, 379/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(r)(s)/3(2a)(v)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त 1. जगरनाथ मेहता, 2. शंकर मेहता, 3. विशेश्वर मेहता, 4. बैजनाथ मेहता, 5. विनोद मेहता, 6. रतन यादव को अनुत्पेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त 1. दिनबंधु यादव एवं 2. रूपेश कुमार के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(v2) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 57/2024 दिनांक 15/03/2024 समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी की कंडिका 4, 5, 6 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तों के अलावे अभियुक्त रतन यादव के विरूद्व कार्यवाही वास्ते पर्याप्त आधार है।

अतः आरोप पत्र की कंडिका 07 में वर्णित **अभियुक्तगण 1. दिनबंधु यादव, 2. रूपेश कुमार, 3. रतन यादव के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें।

दिनांक....27/6/24.......... उपस्थिति वास्ते।

Nishi Kant Thakur
1/5/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल